रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73 REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 25, 1976 (पौष 4, 1898)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 25, 1976 (PAUSA 4, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	853
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	2015
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1711
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	3143
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	4483
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	425
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	10581
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	1023
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	79
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधि-सूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	2481
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	219

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	853
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	2015
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	
PART I.—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1711
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	-
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3143
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	4483
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	425
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	10581
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	1023
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	79
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2481
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	219

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 दिसम्बर 1976

सं० एफ० 31/4/76/ए० एन०-1/जी० एन०-741/76—लोक सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1955 के नियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष लोक सभा सचिवालय (आचरण) नियम 1955 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम लोक सभा सचियालय (आचरण) दूसरा संशोधन नियम, 1976 कहे जा सकते हैं।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लोक सभा सचिवालय (आचरण) नियम, 1955 (जिन्हें इसके पश्चात् कथित नियम कहा गया है) में, नियम 7 में, जहां कहीं भी 1000 रु० और "500 रु०" अंक आये हैं, उनके स्थान पर क्रमश: "2000 रु०" और "1000 रु०" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. उपरोक्त नियमों में, जहां कहीं भी 'श्रेणी-1', 'श्रेणी-2', 'श्रेणी-3', और 'श्रेणी-4' शब्द आयें, उनका लोप किया जायेगा।

श्यामलाल शकधर, महासचिव

मंत्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 दिसम्बर 1976

सं० 4/41/76-सी० एस०-I—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को, राष्ट्रपति उसी सेवा के ग्रेड-1 में, प्रत्येक के सामने दी गयी तारीख से, स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :—

1. श्री पी० सी० अरोरा (स्वास्थ्य विभाग)	1-12-74
2. श्री आई० एन० अरोरा (निर्माण तथा आवास मंत्रालय)	1-12-74
3. श्री एच० ए० एम० एल० बज (रक्षा मंत्रालय)	1-2-75
4. श्री यू० आर० कुरलेकर (वाणिज्य मंत्रालय)	5-2-75
5. श्री के० वी० महालिंगम (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)	1-3-75
6. श्री जे० ए० समद् (निर्माण तथा आवास मंत्रालय)	1-4-75
7. श्री सी० डब्ल्यू० मिरचन्दानी (वित्त मंत्रालय)	1-4-75
8. श्री के० एस० राजा (सिविल पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय)	1-5-75
9. श्री एस० के० श्रीवास्तव (पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय)	1-7-75
10. श्री के० वेणुगोपाल (स्वास्थ्य विभाग)	1-7-75
11. श्री एस० के० करतक (स्वास्थ्य विभाग)	27-10-75
12. श्री एन० नटराजन (वित्त मंत्रालय)	27-10-75
13. श्री के० के० मेहरा (बिजली विभाग)	27-10-75
14. श्री ओ० पी० बकरी (गृह मंत्रालय)	27-10-75
15. श्री एच० बी० दास (शिक्षा विभाग)	27-10-75
16. श्री टी० जी० गोधी (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)	27-10-76
17. श्री एन० ए० सुब्रमणि (स्वास्थ्य विभाग)	1-12-75
18. श्री बी० के० मेहता (पुनर्वास विभाग)	1-1-76

के० एल० रामाचन्द्रन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 दिसम्बर 1976

नियम

सं० 6/31/76 के० से० (1)—निम्नलिखित सेवाओं पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए वर्ष 1977 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

(I) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड

(II) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड और

(III) भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों में जो भारतीय विदेश सेवा (बी)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं हैं, सहायकों के पद।

1. कोई भी उम्मीदवार ऊपर की किसी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता कर सकता है। वह इन में से जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार किया जाना चाहता है, उनका उल्लेख अपने प्रतिवेदन पत्र में कर सकता है।

ध्यान दें :—आयोग द्वारा परीक्षा-परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त कर लेने वाले उम्मीदवारों से उन सेवाओं/पदों की वरीयता क्रम में जानकारी देने को कहा जाएगा जिनके लिए वे विचार किए जाने के इच्छुक हों।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों से अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित जातियों/जन जातियों में से किसी एक से है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सूचियां (संशोधन)- आदेश, 1956, बम्बई पुर्नगठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा यथा संशोधित) संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1917, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अंतिम रूप में उसे नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाण पत्र दे दिया जाए।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का न हो या कीनिया, उगांडा और तंजानिया के संयुक्त गणराज्य का प्रव्रजक न हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित भारत मूल का व्यक्ति न हो उसे प्रतियोगिता में दो से अधिक बार बैठने नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबन्ध वर्ष 1962 की परीक्षा के समय से लागू है।

नोट 1 :—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए यह मान लिया जाएगा कि वह एक ही बार में उक्त परीक्षा के अंतर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिए बैठ चुका है।

नोट 2 :—यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः एक या अधिक विषयों में बैठा हो तो यह माना जाएगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ चुका है।

6. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि पहली जनवरी, 1977 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1952 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1957 के बाद न हुआ हो।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन विभागों/कार्यालयों या चुनाव आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में कम से कम 3 वर्ष की लगातार तथा नियमित सेवा कर लेने वाले लोअर डिवीजन क्लर्कों/अपर डिवीजन क्लर्कों के मामले में 30 वर्ष की आयु तक ढील दी जा सकेगी।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सदभाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(viii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति ग्रस्त क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से नियुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xi) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा दल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xii) वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान कार्यवाही में विकलांग होने के परिणाम स्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हों, अधिक से अधिक आठ वर्ष।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयुसीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

नोट :—जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन-पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

जो लो० डि० क्लर्क/अपर डिविजन क्लर्क सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेकर किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति है या जिसका किसी अन्य पद पर स्थानांतरण हो जाता है किन्तु जिस पद से स्थानांतरित हुआ है उस पर उसका लियन बना रहता है, वह यदि अन्यथा उपयुक्त हुआ तो परीक्षा में प्रवेश का पात्र बना रहेगा।

7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा-संस्था की डिग्री होनी चाहिए।

टिप्पणी I :—कोई भी उम्मीदवार, जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा, परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी II :—विशेष परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

8. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हों, पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों, उन सब को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष की ओर से आयोग के नोटिस के उपाबंध के पैरा-2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा–6 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिस उम्मीदवार ने

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा,

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छदम् रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा,

(iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा,

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या

(viii) उत्तर पुस्तकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।

(xi) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगी और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए सिफारिश की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गए हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद बताए गए वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा (आवेदन-पत्र का स्तम्भ 19 देखिए)]।

16. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी/यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

17. उम्मीदवार को सहायक ग्रेड में उसकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाए और परीक्षा पास कर लेने पर या उससे छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जाएगा कि उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतन-वृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा।

18. जिस व्यक्ति ने,

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुरूप स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति के संबंध में विचार किए जाने की संभावना हो।

20. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार तथा चरित्र तथा पूर्ववृत की दृष्टि से इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

21. केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट- II में संक्षेप में दी गई हैं।

के० एल० रामचन्द्रन
उप सचिव।

परिशिष्ट I

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे:—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1. निबन्ध	100	2 घन्टे
2. सामान्य अंग्रेजी	200	3 घन्टे
3. अंकगणित	100	2 घन्टे
4. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है	100	2 घन्टे

2. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है।

3. उम्मीदवार प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 3 या प्रश्न पत्र 4 अथवा तीनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में दे सकते है। प्रश्न पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा।

परन्तु प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही तैयार किए जाएंगे। फिर भी, निबन्ध के प्रश्नपत्र में निबन्धों के अंग्रेजी शीर्षकों का हिंदी रूपान्तर भी दिया जाएगा।

नोट 1:—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा, उसी प्रश्न पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं।

नोट 2:—उक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों का अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के कालम 5 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

एक बार लिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जो उम्मीदवार किसी या किन्हीं प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प दे चुके हैं, वे, अगर चाहें तो, हिन्दी की पारिभाषिक पदावली के साथ-साथ, जहां प्रासंगिक हो, अंग्रेजी पर्याय भी दे सकते हैं।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालिफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

6. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. खराब लिखाई के कारण लिखित विषयों के पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भाषाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा।

9. उम्मीदवारों से मुद्रा, तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली से परिचित होने की आशा की जाती है। प्रश्न पत्रों में यथा आवश्यक मुद्रा, तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

1. निबन्ध: दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा।

2. सामान्य अंग्रेजी:—

(i) सारलेखन और मसौदा लेखन:—अंग्रेजी समझने और लिखने की शक्ति की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। आमतौर पर, संक्षेप या सार लिखने के लिए अवतरण (पैसेजेज) दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को कुछ सामग्री दी जाएगी और उन्हें सामग्री का समुचित उपयोग करते हुए, पत्रों, ज्ञापनों आदि के मसौदे तैयार करने को भी कहा जाएगा।

(ii) पर्यायों, विलोमों, शब्दों तथा पदों के मुहावरेदार प्रयोग और सामान्य भूलों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।

(iii) शब्द भेद (पार्टस आफ स्पीच), वाक्य विश्लेषण वाक्य रचना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन (डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच)।

नोट :—प्रश्न पत्न 2 में सार लेखन के लिए 75 अंक, मसौदा, लेखन के लिए 75 अंक और व्याकरण, मुहावरों आदि के लिए 50 अंक होंगे।

प्रश्न पत्न 1 और 2 का उद्देश्य उम्मीदवारों को शुद्ध भाषा लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है। वाक्य विन्यास तथा योजना, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ध्यान दिया जाएगा।

3. अंकगणित

दशमलव भिन्नों का सरलीकरण, अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशतता, औसत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। समय तथा दूरी, समय और काम, आंकड़ों के लेखा-चित्तीय निरूपण, रखिक ग्राफों के पढ़ने और आंकड़ों के सारणीकरण के प्रश्न।

बुद्धिमता, यथातथ्यता और तेजी से काम करने की योग्यता जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे।

टिप्पणी :-प्रश्न पत्न में जब तक अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाए तब तक उम्मीदवार प्रश्न पत्नों को हल करने में बीजगणित की रीति का प्रयोग कर सकते हैं।

4. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है।

सामाजिक घटनाओं का ज्ञान और जो कुछ हम प्रतिदिन देखते हैं और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान, जो एक ऐसे साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्न में भारतीय भूगोल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्न में भारतीय इतिहास संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार, बिना किसी विशेष अध्ययन के ही, दे सकते हैं।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है।

(1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

चयन (सिलेक्शन) ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 1500–60–1800–100–2000।

(2) ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 1200–50–1600।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड रु० 650–30–740–35–810–द०रो०–35–880–40–1000–द०रो०–40–1200।

(4) सहायक ग्रेड : रु० 425–15–500–द०रो०–15–650–20–700–द०रो०–25–800।

नोट :—जो सहायक अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए जाते हैं, उन्हें कम से कम 710 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। जब परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

3. परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

4. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।

5. सहायक इस संबंध में समय समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

6. जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, वे अपनी इस नियुक्ति के बाद किसी भी संवर्ग (केडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

(II) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
(1) चयन ग्रेड (संयुक्त निदेशक या वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अफसर) ग्रुप-क	रु० 1500–60–1800
(2) सिविलियन स्टाफ अफसर ग्रुप—क	रु० 1100–50–1600
(3) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (ग्रुप—ख—राजपत्नित)	रु० 650–30–740–35–810–द०रो०–35–880–40–1000–द०रो०–40–1200।
(4) सहायक (ग्रुप—ख—अराजपत्नित)	रु० 425-15-500-द०रो०-15–560–20–700–द०रो०–25–800।

नोट :— सहायक के ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड पर पदोन्नत होने पर सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 710/- रुपए का आरम्भिक वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को, दो वर्ष तक परीवीक्षा से रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन की उनकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को सेवा मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल अन्तर सेवा संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी मुख्यालय या कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(5) सहायक इस संबंध में समय समय पर लागू होने वाल नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गए हैं, उनका, ऐसी नियुक्ति के उपरान्त, इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 दिसम्बर 1976

सं० 16(21)/74-ई आई एण्ड ई पी०— भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, भारतीय बैंकिंग संस्थान, मुम्बई के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित की गई अंशदायी भविष्य निधि को लागू होंगे।

के० पी० बालसुब्रह्मण्यम्
उप-निदेशक

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर, 1976

संकल्प

(ढलवां लोहा उद्योग के लिए इस कार्यकारी दल का गठन)

सं० IV-13/76/टी० एस० डब्ल्यू०-II/ई० आई० एम०—भूरे लोहे की ढली वस्तुओं के निर्माण के लिए अपेक्षित ढलवे लोहे की किस्म (क्वालिटी) सुधारने की सम्भावना और इस कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित अभ्युपायों, का पता लगाने की दृष्टि से एक कार्यकारी दल गठित करने का निश्चय किया गया है, जिसकी संरचना निम्नलिखित है :—

1. श्री हरि भूषण, — अध्यक्ष
सलाहकार (तकनीकी) तथा पदेन संयुक्त सचिव,
उद्योग मंत्रालय,
भारी उद्योग विभाग।

2. श्री जी० एन० मेहरा, — सदस्य
संयुक्त सचिव,
उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक विकास, विभाग।

3. श्री एस० श्रीनिवासन, — सदस्य
प्रमुख (इंजीनियरी),
योजना आयोग।

4. श्री आर० के० पुरी, — सदस्य
उप-सचिव,
वाणिज्य मंत्रालय।

5. श्री एस० मजूमदार, — सदस्य
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय।

6. इस्पात विभाग का एक प्रतिनिधि — सदस्य

कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1977 के अंत तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

दिनांक 7 दिसम्बर, 1976

संकल्प

(ढलाई घर एककों के लिए एक कार्यकारी दल का गठन)

सं० 13026(15)/76-ई० आई० एम०—ऐसा समझा जाता है कि ढलाई घर एककों को, विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में जहां इस प्रकार के एकक काफी संख्या में केन्द्रित हैं, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके वर्तमान उत्पादों की मांग पर्याप्त नहीं है और उनके उत्पादों के विविधीकरण और किस्म अच्छी करने में कठिनाई हो रही है।

इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने का निश्चय किया गया है जिसकी संरचना निम्नलिखित है :—

1. श्री डी० आर० मलिक, — अध्यक्ष
परामर्शदाता,
सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्रोजेक्ट,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।

2. श्री हरि भूषण, — सदस्य
सलाहकार (तकनीकी) और पदेन संयुक्त सचिव,
भारी उद्योग विभाग।

3. रेलवे का एक प्रतिनिधि। — सदस्य

4. विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय का एक प्रतिनिधि। — सदस्य

5. ए० आई० ई० आर०, — सदस्य
फाउंड्री डिवीजन का एक प्रतिनिधि।

उपर्युक्त सदस्यों के अलावा, यदि वे चाहें तो कार्यकारी दल को उद्योग या सरकारी क्षेत्र से किसी अन्य सदस्य को सहयोजित करने का अधिकारी होगा। कार्यकारी दल निम्नलिखित बातों की जांच करेगा :—

(1) विद्यमान एककों की जीव्यता और विकास की क्षमता;

(2) आधुनिकीकरण तथा विद्यमान एककों को विकासक्षम बनाने के लिए किस्म और मात्रा दोनों के सम्बन्ध में अपेक्षित अन्तर्वस्तुएं;

(3) उत्पादन की किस्म सुधारने और युक्ति संगत बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(4) ढली हुई वस्तुओं के निर्यात की सम्भावना।

कार्यकारी दल फरवरी, 1977 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

हरि भूषण,
सलाहकार (तकनीकी) तथा पदेन संयुक्त सचिव

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 1976

संकल्प

सं० आई० एम० ई०-1(2)/76—सरकार ने उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संकल्प दिनांक 14-4-1976 के अनुसार गठित तथा समय-समय पर संशोधित सायकल एवं सायकल उपकरण उद्योगों के विकास सम्बन्धी नामिका में इस संकल्प की तिथि से निम्नलिखित जोड़ने का निर्णय किया है :—

15. श्री ए० आर० सेन,
निदेशक,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
लघु उद्योग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली।

16. श्री वाई० एस० वेंकटेश्वरन, उप-महानिदेशक, भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।	प्रधानाचार्य
श्री एस० चन्द्रशेखरन, प्रधान (मैकेनिकल इंजी०), भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।	विकल्प
17. श्री एच० आर० वर्मा, निदेशक (इन्जीनियरी), योजना आयोग, नई दिल्ली।	

सी० मल्लिकार्जुनन, अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 1976

संकल्प

सं० ई० 11015(8)/75-हिन्दी (.):—भारत सरकार ने इस्पात और खान मंत्रालय के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन, कार्य आदि निम्नानुसार होंगे।

1. इस्पात और खान मंत्री	अध्यक्ष
2. इस्पात और खान उप-मंत्री	उपाध्यक्ष
3. श्री निहार रंजन लस्कर, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4. श्री चिरंजीव झा, संसद सदस्य (लोक-सभा) .	सदस्य
5. श्री तारकेश्वर पांडे, संसद सदस्य (लोक-सभा) .	सदस्य
6. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर, संसद सदस्य (लोक-सभा)	सदस्य
7. श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी, संसद सदस्य (राज्यसभा)	सदस्य
8. श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) .	सदस्य
9. सचिव (इस्पात विभाग)	सदस्य
10. अध्यक्ष, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली	सदस्य
11. लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता . .	सदस्य
12. प्रबन्ध निदेशक, बोकारो स्टील लि०, बोकारो .	सदस्य
13. महाप्रबन्धक, भिलाई इस्पात लि०, भिलाई .	सदस्य
14. महाप्रबन्धक, राउरकेला इस्पात लि०, राउरकेला .	सदस्य
15. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हैदराबाद। .	सदस्य
16. अपर सचिव, खान विभाग, नई दिल्ली . .	सदस्य
17. महानिदेशक, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता .	सदस्य
18. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नया सचिवालय भवन, नागपुर	सदस्य
19. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत एल्यूमोनियम कंपनी लि० (बालको), नई दिल्ली	सदस्य
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, खनिज समन्वेषण लिमिटेड, नागपुर	सदस्य
21. श्री केशव प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य
22. राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार, नई दिल्ली	सदस्य
23. श्री सुधाकर द्विवेदी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
24. श्री पी० पी० गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर बैलाडिला आयरन ओर प्रोजेक्ट पो० आ० पल्लेली जिला बस्तर, (म० प्र०)	सदस्य
25. डा० एम० एन० मिश्रा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट आफ मेटलर्जी, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य
26. डा० हरिकृष्ण अवस्थी, हिन्दी विभागाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ .	सदस्य
27. डा० दशरथ सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, आर० के० तलरेजा कालेज, उल्हास-नगर-3 (महाराष्ट्र)	सदस्य
28. संयुक्त सचिव, (हिन्दी) इस्पात विभाग . .	सदस्य सचिव

2. **कार्य** :

इस समिति का कार्य, सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित मामलों में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

3. **कार्य अवधि** :—

समिति का कार्यकाल, निम्नलिखित व्यवस्था के साथ, उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा :—

(क) समिति में नामजद संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेंगे तभी इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) अवधि के बीच में रिक्त हुआ स्थान सम्बन्धित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा और यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया काल के लिए सदस्य होंगे।

4. **विविध** :

(क) समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी अथवा उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी।

(ख) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

(ग) समिति और इस समिति की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासकों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रीमण्डल सचिवालय, संसद-कार्य विभाग, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राज्यस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शरण सिंह, सचिव

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 1976

संकल्प

सं० आर०-17011/3/74-समन्वय—भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) के 22 मार्च,

1975 के संकल्प संख्या आर०-17011/3/74-यो० तथा सम०, जिसके द्वारा सहकारिता सम्बंधी सलाहकार परिषद् पुनर्गठित की गई थी और 15 दिसम्बर, 1975 के संशोधन संख्या आर०-17011/3/74-समन्वय में नीचे दिये गये परिवर्तन किये जाते हैं :—

क्रम संख्या 1 पर "श्री टी० ए० पाई" के स्थान पर "सैयद मीर कासिम, मंत्री नागरिक पूर्ति और सहकारिता" का नाम रखा जाये।

क्रम संख्या 3 पर "श्री एस० एस० पुरी" के स्थान पर "श्री एम० जी० बालासुब्रह्मण्यन, सचिव, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय" का नाम रखा जाये।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की कापी सभी संबंधितों को भेजी जाये। यह भी आदेश है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

टी० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 1976

संकल्प

सं० टी० 14011/8/76-सी० एण्ड सी० डी०/एम० ए० एल०—भारत सरकार का विचार है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य के तीव्र और कारगर कार्यान्वियन के हित में और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान, प्रशिक्षण कार्यकलाप, मूल्यांकन, संभार-तंत्र (लाजिटिक्स), प्राप्ति सप्लाई आदि के उचित और शीघ्र बढ़ावा देने के संबंध में दिन-प्रति दिन निर्णय लेने और आवश्यक वित्तीय मंजूरियां देने के लिए एक कारगर और तेज कार्य पद्धति तैयार की जानी चाहिए। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र से और इस कार्यक्रम के अपेक्षित अन्य मदों से संबंधित परियोजनाओं पर विचार करने और स्वीकृति देने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड का गठन किया जाए।

इस बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :—

1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (आ०), स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
3. संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	सदस्य
4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य
5. निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	सदस्य-सचिव

बोर्ड को इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों जैसे निदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

इस बोर्ड के पास निम्न प्रकार के मामले भेजे जाएंगे।

(क) मलेरिया के क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की लागत की प्रायोगिक। नवीन परियोजनाओं से संबंधित योजनाएं 5 लाख रुपये के लागत तक की योजनाओं को सचिव अपनी शक्तियों के अन्तर्गत मंजूरी दे सकते हैं।

(ख) राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम संबंधी अन्य योजनाएं बशर्ते कि इनके लिए बजट में व्यवस्था की गई हो।

(ग) यह बोर्ड मलेरिया के क्षेत्र की आप्रेशनल अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों की समीक्षा करेगा और उनमें समन्वय भी रखेगा।

(घ) कोई भी अन्य कार्य जो बोर्ड को भारत सरकार द्वारा समय समय पर सौंपा जाए।

3. यह बोर्ड, वित्तीय संबंधी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

4. इस बोर्ड को समय-समय पर यथासंशोधित वित्त मंत्रालय के 10-4-1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 10(13)ई०-कोआर्ड०/75 में मंत्रालयों को प्रदत्त अधिक वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत उपर पैरा 2 के मदों के बारे में निर्णय लेने और बजट प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय मंजूरियां देने की पूरी शक्तियां होगी।

5. बोर्ड की बैठक में विचारार्थ कार्य सूची को इसकी बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले बार्ड के सदस्यों को भेज दी जाएगी। बैठक में किसी भी मामले पर बोर्ड की असहमति होने की स्थिति में उस मामले को निर्णय के लिए संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के पास भेजा जाएगा।

आनन्द प्रकाश अली, उप सचिव

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1976

संकल्प

सं० आर०-17011/36/75-सी० एण्ड जी० (आो० एस०)—भारत सरकार ने इस विभाग के 17 फरवरी, 1975 के संकल्प संख्या 8-16-74-ओ० एस० औ० (सी० एण्ड जी०) द्वारा जिस त्रिपक्षीय राष्ट्रीय परिवार कल्याण नियोजन समिति का गठन किया था, उसे पुनः गठित करने का निश्चय किया है। इस पुनर्गठित त्रिपक्षीय राष्ट्रीय परिवार कल्याण नियोजन समिति की रचना इस प्रकार होगी :—

1.	केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय श्रम मंत्री।	उपाध्यक्ष
3-7.	निम्नलिखित मंत्रालयों का एक-एक प्रतिनिधि :—	
	(1) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय।	सदस्य
	(2) वित्त मंत्रालय।	सदस्य
	(3) श्रम मंत्रालय।	सदस्य
	(4) योजना आयोग।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड।	सदस्य
9-16.	निम्नलिखित का एक-एक प्रतिनिधि :—	
	(1) इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस।	सदस्य
	(2) आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।	सदस्य
	(3) हिन्द मजदूर सभा।	सदस्य
	(4) ज्वांइट कन्सलटेटिव मशीनरी (स्टाफ पक्ष)	सदस्य
	(5) एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इंडिया।	सदस्य
	(6) आल इंडिया एम्प्लायर्स आरगनाइजेशन।	सदस्य
	(7) आल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स आरगनाइजेशन।	सदस्य
	(8) ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइसेस	सदस्य
17.	अध्यक्ष, स्टैंडिंग कान्फ्रेन्स आफ पब्लिक एंटरप्राइसेस।	सदस्य
18.	श्री एन० के० भट्ट, संसद सदस्य, (राज्य सभा)।	सदस्य
19.	श्री बी० बी० कार्मिक।	सदस्य
20.	कुमारी मणि बेन कारा।	सदस्य
21.	अपर सचिव एवं आयुक्त (प० नि०), परिवार नियोजन विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव

2. यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(1) उपर्युक्त नीतियां तैयार करना, विशिष्ट कार्यक्रम बनाना, कमजोर क्षेत्रों का निर्धारण करना तथा शोधक उपायों का सुझाव देना और परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति तथा संगठित क्षेत्र में कार्यकलापों का मूल्यांकन करना।

(2) कामगारों की शिक्षा तथा प्रेरणा हेतु मजदूर संघों और प्रबन्धकों की सहायता और सहयोग प्राप्त करना ; तथा

(3) संगठित क्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार को विशेषज्ञ परामर्श देना।

3. सामान्यतः समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष तक रहेगा।

4. समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार बुलाई जाएंगी।

5. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये मंत्रियों और अधिकारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का खर्च उसी स्रोत से पूरा किया जायेगा जहां से वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं। समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का विनियमन एस० आर० 190 के उपबन्धों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये तत्सम्बन्धी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

6. इस पर होने वाला व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा :—

"मांग संख्या 48-परिवार नियोजन के अन्तर्गत

281-क-परिवार नियोजन -क-1

निदेशन और प्रशासन-क-1(1)

मुख्यालय का तकनीकी खण्ड-

क-1(1)(4) यात्रा व्यय (आयोजना)"।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाये और यह संकल्प भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

सरला ग्रेवाल, अपर सचिव एवं
आयुक्त (प० नि०)

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 1976

संकल्प

सं० एफ० 15-9/74 यू०1—भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली के पुनर्गठन के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 15-9/75 यू०-1, दिनांक 18 जुलाई, 1975 के संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के वित्तीय सलाहकार श्री जे० ए० कल्याणाकृष्णन को तत्काल से वित्तीय/सलाहकार (ई० ए० एण्ड ई०), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) नई दिल्ली के स्थान पर श्रेणी VI के अन्तर्गत पुनर्गठन परिषद् की बकाया अवधि के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामजद करती है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक ; भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद् , 35 ; फिरोजशाह रोड. नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनिल बोर्डिया, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 1976

सं० एफ० 112-54/75-एन० एस० वाई०-I (उड़ीसा)—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अगले आदेशों तक नेहरू युवक केन्द्रों में युवक समन्वयक के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	युवक समन्वयक के रूप में नियुक्ति की तारीख	नेहरू युवक केन्द्र का नाम
1.	श्री जे० दमसाना	26 अक्तूबर, 1976 (पूर्वाह्न)	सम्बलपुर (उड़ीसा)
2.	श्री एस० सी० रथ	27 अक्तूबर, 1976 (पूर्वाह्न)	सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)
3.	श्री के० सी० मांझी	27 अक्तूबर, 1976 (अपराह्न)	बारीपाधा (उड़ीसा)
4.	श्री पी० पी० पाणिग्रही	1 नवम्बर, 1976 (पूर्वाह्न)	गंजम (उड़ीसा)
5.	श्री बी० मिश्र	5 नवम्बर, 1976 (पूर्वाह्न)	कालाहांडी (उड़ीसा)
6.	श्री बी० सतपथी	22 नवम्बर, 1976 (पूर्वाह्न)	कोरापुट (उड़ीसा)

दिनांक 4 दिसम्बर 1976

सं० एफ० 112-54/75 एन० एस० वाई-I (यू० पी०)—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से अगले आदेशों तक के लिए नेहरू युवक केन्द्र में स्थानापन्न युवक समन्वयक के रूप में नितांत तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	युवक समन्वयक के रूप में नियुक्ति की तारीख	नेहरू युवक केन्द्र का नाम
1.	श्री एन० एन० तिवारी	20 नवम्बर, 1976 (पूर्वाह्न)	अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

के० के० खुल्लर, अवर सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1976

संकल्प

सं० क्यू० 11018/21/76-पी०एच०ई०—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में जल पूर्ति की मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मार्ग-निर्देश बनाने हेतु एक समिति का गठन करने संबंधी इस मंत्रालय के दिनांक 27 जुलाई, 1976 के इसी संख्या वाले संकल्प के अनुक्रम में भारत सरकार ने समिति का कार्यकाल 27 जनवरी, 1977 तक बढ़ा दिया है, जिस तारीख तक समिति को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देनी चाहिए।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी संबंधित को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मीर् यूनस कुल्लाह, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 1976

सं० क्यू०–16011/2/76—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3(छ) (iii) के अनुसरण में भारत सरकार संयुक्त सचिव श्री पी० गुरुमूर्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में तमिल नाडु सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या ई०ए०ब० पी०–4(24)/58, दिनांक 12 दिसम्बर, 1958/29 अग्रहायण, 1880 में निम्नलिखित परिवर्तन किए जायेंगे।

वर्तमान प्रविष्टि, अर्थात् :—

"5" श्री जिया सिद्दया
श्रमायुक्त, कर्नाटक सरकार,
नं० 49, पैलेस रोड,
बंगलौर-560002"

के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"5" श्री पी० गुरुमूर्ति,
संयुक्त सचिव,
तमिलनाडु सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
मद्रास–600009"।

हंसराज छाबड़ा, उप सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st December 1976

No. F. 31/4/76/AN-I/GN-741/76.—In exercise of the powers conferred by Rule 19 of the Lok Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1955, the Speaker hereby makes the following rules further to amend the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Rules, 1955 namely :—

1. (1) These Rules may be called the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Second Amendment Rules, 1976.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Rules 1955 (hereinafter referred to as the said Rules) in Rule 7, for the figures "Rs. 1000/-" and "Rs. 500/-" wherever they occur, the figures "Rs. 2000/-" and "Rs. 1000/-" respectively, shall be substituted.

3. In the said Rules, the words "Class I", "Class II", "Class III" and "Class IV" wherever they occur shall be omitted.

S. L. SHAKDHER, Secretary-General.

CABINET SECRETARIAT

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND A.R.)

New Delhi, the 3rd December 1976

No. 4/41/76-CS(I).—The President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of the Central Secretariat Service to Grade I of the Service in a substantive capacity, with effect from the date mentioned against each :—

S/Shri

1. P.C. Arora .	Department of Health	1-12-74
2. I.N. Aurora .	Ministry of Works and Housing	1-12-74
3. H.A.M.L. Vaz .	Ministry of Defence	1-2-75
4. U.R. Kurlekar .	Ministry of Commerce	5-2-75
5. K.V. Mahalingam	Department of Science and Technology.	1-3-75
6. J.A. Samad .	Ministry of Works and Housing	1-4-75
7. C.W.Mirchandani	Ministry of Finance	1-4-75
8. K.S. Ratra .	Ministry of Civil Supplies and Cooperation.	1-5-75
9. S. K. Srivastava	Ministry of Petroleum	1-7-75
10. K. Venugopal .	Department of Health	1-7-75
11. S.K. Karthak .	Department of Health	27-10-75
12. N. Natarajan .	Ministry of Finance	27-10-75
13. K. K. Mehra .	Department of Power	27-10-75
14. O.P. Bhakri .	Ministry of Home Affeirs	27-10-75
15. H.B. Das .	Department of Education	27-10-75
16. T.G. Gothi .	Department of Personnel and Administrative Reforms.	27-10-75
17. N.A. Subramoney	Department of Health	1-12-75
18. B.K. Mehta .	Department of Rehabilitation	1-1-76

K.L. RAMA CHANDRAN
Deputy Secy.

New Delhi, the 25th December 1976

Rules

No. 6/31/76-CS(I).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1977 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service;

(ii) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service; and

(iii) Posts of Assistant in other departments/organisation and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Service.

1. A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered.

N.B.—Candidates who qualify on the results of the examination will be asked by the Commission to intimate the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950: the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order 1951 [as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960 the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971] the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra

and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes, Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or from Zambia, Malawi Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is not a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia shall be permitted to complete more than two times at the examination. This restriction is effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have completed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January, 1977 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1952 and not later than 1st January, 1957.

(b) The upper age limit will be relaxable upto the age of 30 years in respect of LDCs/UDCs, with not less than 3 years' continuous and regular service on 1st January 1977 in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the offices of the Election Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person, from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964.

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(ix) up to maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

NOTE.—The candidature of a person who is admitted to the examination under Rule 6(b) shall be cancelled if after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his Department either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

An L.D.C./U.D.C. who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from which he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

7. A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for at the Commission's examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will *NOT* eb eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated employees, will be required to submit a 'No Objection Certificate' from the Head of their Office/Department in accordance with the instructions contained in para 2 of Annexure to the Commission's Notice.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for the candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination: or

(viii) writing irrelevant matter, including obscence language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or, as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in adition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidate as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination:

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subjects to other provisions contained in these rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts after the declaration of the results.

16. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

17. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed periods they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

18. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the mariage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

20. Success at the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

21. Conditions of Service for Assistants in the Central Secretariat Service, and the Armed Forces Headquarters Civil Service are briefly stated in Appendix II.

K. L. RAMACHANDRAN, Deputy Secy.

APPENDIX I

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

	Max. Marks	Time Allowed
1. Essay	100	2 hours
2. General English	200	3 hours
3. Arithmetic	100	2 hours
4. General Knowledge including Geography of India	100	2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 3 or Paper 4 or all the three papers, either in Hindi (Devnagari) or in English. Paper 2 must be answered in English by all candidates. Question papers will, however, be set in English only. However, the question paper in Essay will also contain Hindi version of the English captions of essays.

NOTE 1.—The option will be for the complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper(s) in Hindi (Devnagari) should indicate their intention to do so in col. 5 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Candidates who opt to answer any of the papers in Hindi (Devnagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of Coins, Weights and Measures. In the question paper, wherever necessary questions involving the use of metric system of Coins, Weights and Measures may be set.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) Essay : An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) General English :

(i) Precis writing and drafting. Question to test their understanding and power to write English. Passages will usually be set for summary or precis. Candidates will also be required to draft letters, memoranda, etc., making an intelligent use of given matter.

(ii) Questions on synonyms, antonyms, idiomatic use of words and phrases and common errors.

(iii) Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.

NOTE.—In paper 2, questions on precis writing will carry 75 marks, drafting 75 marks and those on grammar, idioms etc. 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangements, general expression and workmanlike use of the language.

(3) Arithmetic :

Simplifications involving decimal fractions. Ratio and Proportion Percentages, Averages, profit and Loss, Simple and Compound Interest. Problems involving Time and Distance, Time and Work, Graphical representation of Data-Reading of Linear Graphs and Tabulation of Data.

The question will be designed to test intelligence, accuracy and rapidity in working.

NOTE.—Candidates may also use algebraic methods for solving questions, unless it is specified otherwise in the question paper.

(4) General Knowledge including Geography of India : Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

(i) *Central Secretariat Service*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent)—Rs. 1200—50—1600.

(3) Section Officers Grade.—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(4) Assistants' Grade.—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 710 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in any other cadre.

(i) *The Armed Forces Headquarters Civil Service.*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

Grade & Scale of pay
(1) Selection Grade (Joint Director or Senior Civilian Staff Officer)—Group A—Rs. 1500—60—1800.
(2) Civilian Staff Officer Group A—Rs. 1100—50—1600.
(3) Assistant Civilian Staff Officer (Gazetted)—Group B—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.
(4) Assistant (Non-gazetted) Group B—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE : An Officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Assistant Civilian Staff Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 710/- in the scale for the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter-Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 25th December 1976

No. 16(21)/74-EI&EP.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 8 of the Provident Funds Act 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the contributory Provident Fund established for the benefit of the employees of the Indian Institute of Packaging, Bombay.

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 27th November 1976

RESOLUTION

(Constitution of a Working Group for Pig Iron Industry)

No. IV-13/76/TSW-II/EIM.—With a view to explore the possibility of improvement of the quality of Pig Iron required for the manufacture of Grey Iron Castings and measures required to accomplish this, it has been decided to set up a Working Group with the following composition :—

(1)	Shri Hari Bhushan Adviser (Technical) & *Ex-Officio* Jt. Secretary, Ministry of Industry, Department of Heavy Industry	*Chairman*
(2)	Shri G. N. Mehra, Joint Secretary, Ministry of Industry, Department of Industrial Development	*Member*
(3)	Shri S. Srinivasan, Chief (Engineering), Planning Commission	*Member*
(4)	Shri R. K. Puri, Deputy Secretary, Ministry of Commerce	*Member*
(5)	Shri S. Majumdar, Industrial Adviser, DGTD	*Member*
(6)	A representative of Department of Steel	*Member*

The Working Group is required to submit its report by the end of January, 1977.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

The 7th December 1976

RESOLUTION

(Constitution of a Working Group for Foundry Units)

No. 13026(15)/76-EIM.—Foundry units, particularly in West Bengal, where there is a good concentration of such units, are understood to be facing considerable difficulties; inadequate demand for their current manufacturing profile and difficulties in diversification and upgrading of their products.

In order to examine various aspects of this industry, it has been decided to set up a Working Group with the following composition :

(1)	Shri D. R. Malik Consultant, Central Foundry Forge Project, BHEL	*Chairman*
(2)	Shri Hari Bhushan Adviser (Technical) & *Ex-Officio* Jt. Secy. Deptt. of Heavy Industry	*Member*
(3)	A representative from Railways	*Member*
(4)	A representative from the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries	*Member*
(5)	A representative of the AIEI, Foundry Division	*Member*

In addition to the above, the Working Group would be entitled to co-opt any other member from industry or Government sector, if they so desire. The Working Group is required to examine the following :

(1) Viability and growth potential of the existing units;

(2) Inputs required both in qualitative and quantitutive terms for modernization and making of the existing units viable;

(3) Recommend measures for improving quality and rationalizing of production;

(4) Export potential of castings.

The Working Group is required to submit its Report by the end of February, 1977.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

HARI BHUSHAN, Adviser (Technical) and *Ex-Officio* Joint Secy.

New Delhi, the 30th November 1976

RESOLUTION

No. IME-1(2)/76.—The Government have decided to make the following additions to the Panel for the development of the Cycle and Cycle Components Industries constituted *vide* the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) Resolution dated the 14th April 1976 as amended from time to time, with effect from the date of this Resolution :

15. Shri A. R. Sen,
Director,
Office of the Development Commissioner,
Small Scale Industries,
Nirman Bhavan,
New Delhi.

16. Shri Y. S. Venkateswaran, Deputy Director General, Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, *New Delhi*-110002. — *Principal*

Shri S. Chandrasekharan, Head (Mech. Engg.), Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, *New Delhi*-110002. — *Alternate*

17. Shri H. R. Verma, Director (Engg), Planning Commission, *New Delhi*.

C. MALLIKARJUNAN, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 17th November 1976

RESOLUTION

No. E-11015(8)/75-Hindi(.)—The Government of India have decided to constitute a Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Steel and Mines. Its composition, functions etc. will be as given hereunder :—

I *Chairman*

1. Minister for Steel and Mines

Vice-Chairman

2. Deputy Minister for Steel and Mines

Members

3. Shri N. R. Laskar, M.P. (Lok Sabha)
4. Shri Chiranjib Jha, M.P. (Lok Sabha)
5. Shri Tarkeshwar Pandey, M.P. (Lok Sabha)
6. Shri Purshottam Kakodkar, M.P. (Lok Sabha)
7. Shri C. M. Choudhury, M.P. (Rajya Sabha)
8. Shri Shiv Dayal Singh Chaurasia, M.P. (Rajya Sabha)
9. Secretary (Steel Department)
10. Chairman, Steel Authority of India, Ltd., New Delhi
11. Iron & Steel Controller, Calcutta
12. Managing Director, Bokaro Stel Ltd. Bokaro
13. General Manager, Bhilai Ispat Ltd. Bhilai
14. General Manager, Rourkela Ispat Ltd. Rourkela
15. Managing Director, National Mineral Development Corpn. Hyderabad
16. Addl. Secretary, Department of Mines, New Delhi
17. Director-General, Geological Survey of India, Calcutta
18. Controller, Indian Mines Bureau, New Sectt. Bhavan, Nagpur
19. Chairman-cum-Managing Director, Bharat Aluminium Co. Ltd. (BALCO) New Delhi
20. Chairman-cum-Managing Director, Mineral Exploration Ltd., Nagpur
21. Shri Keshav Prasad Singh, Chairman, Hinidi Department Kashi Vidyapith Vishwavidyalaya, Varanasi
22. Secretary, O.L. Department and Hindi Adviser to the Govt. of India, New Delhi
23. Shri Sudhakar Dwivedi Joint Secretary, O.L. Department (MHA) New Delhi
24. Shri P. C. Gupta, Project Manager, Bailadila Iron Ore Project, P.O. Pacheli, Distt. Baster (M.P.)
25. Dr. S. N. Mishra, Professor Department of Matallurgy, Banaras Hindu University, Varanasi
26. Dr. Hari Krishan Awasthy, Head of the Department (Hindi), Lucknow University, Lucknow
27. Dr. Dasrath Singh, Professor-cum-Chairman, Post Graduate Hindi Deptt. R. K. Talreja College. Ulhas Nagar-3 (Maharashtra)

Member-Secretary

28. Joint Secretary (Hindi) Department of Steel

II *Functions* :

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

III *Tenure* :

The term of the Samiti will be three years from the date of its composition, provided that

(i) a member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(ii) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a Member for the remaining term of three years.

IV *General* :

(i) The Committee may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees, as may be deemed necessary.

(ii) Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but it may hold its meeting at any other station also.

(iii) The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the sub-committees of the Samiti at the rates fixed by the Govt. of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SARAN SINGH, Secy.

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

New Delhi, the 24th November 1976

RESOLUTION

No. R-17011/3/74-Coord.—In the erstwhile Ministry of Industry & Civil Supplies (Department of Civil Supplies & Cooperation) Resolution No. R-17011/3/74-P&C dated the 22nd March, 1975 reconstituting the Consultative Council on Cooperation and amendment—No. R-17011/3/74-Coord, dated the 15th December, 1975, the following changes are made :—

Against serial No. 1 for "Shri T. A. Pai" the name of "Syed Mir Qasim, Minister, Civil Supplies & Cooperation" may be substituted.

Against serial No. 3 for "Shri S. S. Puri" the name of "Shri M. G. Balasubramanian, Secretary, Ministry of Civil Supplies and Cooperation" may be substituted.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. BALAKRISHNAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 1st December 1976

RESOLUTION

No. T. 14011/8/76-C&CD/MAL.—The Government of India consider that in the interest of the speedy and effective implementation of the National Malaria Eradication Programme and for proper and expeditious, promotion of research, training activities, evaluation, logistics, procurement supply etc. under the Programme, an effective and speedy mechanism should be evolved for taking day-to-day decisions and giving necessary financial sanctions. It has, accordingly, been decided that for considerating and clearing projects in the field of Malaria Eradication and other items, required for the Programme, a high powered board should be constituted.

The Board shall consist of the following :—

(i) Secretary, Ministry of Health & Family Planning—*Chairman*

(ii) Joint Secretary(S), Department of Health—*Member*

(iii) Joint Secretary (Financial Adviser) Ministry of Health & Family Planning —*Member*

(iv) Director General of Health Services —*Member*

(v) Director, National Institute of Communicable Diseases —*Member*

(vi) Director, National Malaria Eradication Programme —*Member-Secretary.*

The Board shall have powers to co-opt other experts in the field, *e.g.*, Director General, Indian Council of Medical Research.

2. The following types of cases shall be referred to the Board :—

(a) Schemes relating to the experimental/innovative projects in the field of Malaria costing more than Rs. 5 lakhs. (Schemes costing upto Rs. 5 lakhs may be sanctioned by Secretary under his own powers).

(b) other schemes relating to the National Malaria Eradication Programme subject to the budget allocations.

(c) The Board shall also review and co-ordinate operational research activities in the field of Malaria.

(d) Any other work which may be entrusted to the Board by the Government from time to time.

3. The Board shall exercise all the financial powers.

4. The Board shall have full powers of the decision making and granting financial sanctions within the budget provisions in respect of items at para 2 above within the enhanced financial powers delegated to Ministries *vide* Ministry of Finance Office Memorandum No. F. 10(13)E-Coord/75, dated 10th April 1975, as amended from time to time.

5. The agenda to be considered at the meeting of the Board will be circulated to the members of the Board at least a week in advance of its meeting. In the case of disagreement on any matter in the Board, the matter will be referred to the Ministers in the respective Ministries for decision.

ANAND PRAKASH ATRI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF FAMILY PLANNING)

New Delhi, the 7th December 1976

RESOLUTION

No. R-17011/36/75-C&G(OS).—The Government of India have decided to reconstitute the Tripartite National Committee on Family Welfare Planning constituted *vide* this Department's Resolution No. 8-16/74-OSV(C&G) dated the 17th February 1975. The Composition of the reconstituted Tripartite National Committee on Family Welfare Planning will be as follows :—

1. Union Minister of Health and Family Planning. *Chairman*
2. Union Minister of Labour. *Vice-Chairman*

3-7. A representative each of :

(i) Ministry of Health and Family Planning. *Member*

(ii) Ministry of Finance. *Member*

(iii) Ministry of Labour *Member*

(iv) Planning Commission. *Member*

(v) Employees State Insurance Corporation *Member*

8. Chairman Central Board of Workers' Education. *Member*

9-16. One representative each of :

(i) Indian National Trade Union Congress *Member*

(ii) All India Trade Union Congress *Member*

(iii) Hind Mazdoor Sabha *Member*

(iv) Joint Consultative Machinery (Staff Side) *Member*

(v) Employers' Federation of India *Member*

(vi) All India Organisation of Employers *Member*

(vii) All India Manufacturers' Organisation *Member*

(viii) Bureau of Public Enterprises *Member*

17. Chairman Standing Conference of Public Enterprises *Member*

18. Sh. N. K. Bhatt M.P., (Rajya Sabha) *Member*

19. Shri V. B. Karnik. *Member*

20. Miss Mani Ben Kara. *Member*

21. Additional Secretary and Commissioner Family Planning Deptt. of Family Planning. *Member-Secretary.*

2. The functions of the Committee will be as follows :—

(i) to evolve appropriate policies, formulate specific programmes, indentify areas of weakness and suggest corrective measures and evaluate the progress of Family Welfare Planning Programmes and activities in the Organised Sector;

(ii) to enlist the support and cooperation of trade unions and managements in the field of education and motivation of workers; and

(iii) to give expert advice to Government on the implementation of the schemes in the Organised Sector.

3. The Members of the Committee shall normally hold office for a period of two years.

4. The Committee will hold its meetings as often as necessary.

5. The expenditure on the T.A. and D.A. of Ministers and Officials for attending the meetings of the Committee shall be met from the same source from which their salary is drawn. The T.A. and D.A. of non-official members attending meetings of the Committee shall be regulated in accordance with the provision of SR 190 and Orders of the Government of India thereunder as issued from time to time.

6. The expenditure involved will be met from the budget grant under the Major Head.

Under major Head :—

"281-A-Family Planning-A-1-Direction and Administration-AI(i)-Technical Wing at the Headquarters—A (1)(4)-Travel Expenses (Plan) under Demand No. 48 Family Planning."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India and all State Governments/Union Territories and that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SERLA GREWAL, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 22nd November 1976

RESOLUTION

No. F. 15-9/74-U.1.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. F. 15-9/75-U.1, dated the 18th July 1975 regarding the reconstitution of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, the Government of India nominate Shri J. A. Kalyanakrishnan, Financial Adviser, Ministry of Education and S. W., New Delhi to represent Government of India with immediate effect, for the unexpired period of the term of the reconstituted Council in place of Financial Adviser (EA&E), Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure), New Delhi under Category VI.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANIL BORDIA, Joint Secy.

New Delhi-110001, the 1st December, 1976

No. F. 112-54/75-NSY-1 (Orissa)—The President is pleased to appoint the following persons to officiate as Youth Coordinators in the Nehru Yuvak Kendras, purely on an *ad hoc* basis, with effect from the date shown against each, until further orders :—

Sl. No. Name	Date of appointment as Youth Coordinator	Name of Nehru Yuvak Kendra
S/Shri		
1. J. Dansana .	. 26 October 1976 (FN)	Sambalpur (Orissa)
2. S.C. Rath .	. 27 October 1976 (FN)	Sundargarh (Orissa)
3. K.C. Majhi	. 27 October 1976 (AN)	Baripada (Orissa)
4. P.P. Panigrahy	. 1st November 1976 (Forenoon)	Ganjam (Orissa)
5. B. Mishra .	. 5th November 1976 (Forenoon)	Kalahandi (Orissa)
6. D. Satapathy	. 22 November 1976 (Forenoon)	Koraput (Orissa)

The 4th December, 1976

No. F. 112-54/75-NSY.I(U.P.)—The President is pleased to appoint the following person to officiate as Youth Coordinator in the Nehru Yuvak Kendra, purely on an *ad hoc* basis with effect from the date shown against him, until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of appointment as Youth Coordinator	Name of Nehru Yuvak Kendra
1.	Shri N.N.Tiwari	20th November, 1976 (Forenoon).	Aligarh (U.P.)

K.K. KHULLAR Under Secy.,

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 5th November 1976

RESOLUTION

No. Q-11018/21/76-PHE.—In continuation to this Ministry's Resolution of even number dated the 27th July, 1976 regarding formation of a committee to prepare the guidelines for preparation of Master Plan for water supply in the towns of National Capital Region, Government of India have decided to extend the life of the Committee upto 27th January, 1977, by which date the Committee should submit its report to the Government.

ORDER

1. ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MIR NASRULLAH, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd December 1976

No. Q-16011/2/76-WE.—In pursuance of Rule 3 (g) (iii) of the Rules & Regulations of the Central Board for Workers' Education the Government of India hereby appoint Shri P. Gurumurthi, Joint Secretary, Government of Tamil Nadu, as representative of the Government of Tamil Nadu on the Central Board for Workers' Education, for a period of two years from the date of issue of this notification.

2. The following changes will be made accordingly in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P-4 (24)/58, dated the 12th December, 1958/Agrahayana 29, 1880, as amended from time to time.

For the existing entry viz. :—

"5" Shri Siddayya Puranik,
Commissioner of Labour,
Government of Karnataka,
No. 49, Palace Road,
Bangalore-560002."

the following entry shall be substituted viz. :—

"5" Shri P. Gurumurthi,
Joint Secretary to the
Government of Tamil Nadu,
Labour & Employment Deptt.,
Madras-600009.

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976